भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-117

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

†117. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कितने जिलों को शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
(ख) नवीनतम जनगणना या सर्वेक्षण के अनुसार इन जिलों में अजा और अजजा आबादी का अनुपात क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन जिलों में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए कोई योजना या पहल शुरू की है, जैसे कि विशेष निधि, छात्रवृत्ति कार्यक्रम या बुनियादी ढांचा विकास; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए शुरू की गई एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात समग्र शिक्षा के माध्यम से प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक सभी के लिए स्कूल शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा योजना एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

इस विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) की पहचान की थी, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी, तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान के तहत ईबीबी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय के रूप में स्वीकृत किया गया था।

तथापि, जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा पिछड़े जिलों के सामाजिक परिणामों में सुधार के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, सरकार के कार्यक्रम अब देश के आकांक्षी जिलों में मूलभूत ढांचे और अधिगम की कमी को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 112 आकांक्षी जिलें **(अनुलग्नक-I)** में दिए गए हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत, राज्यों और जिलों की मूल जनसंख्या के आंकड़ों, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात भी शामिल है, की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे वेबसाइट www.censusindia.gov.in के माध्यम से निम्नलिखित लिंक अर्थात https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/42557/download/46183/2011-IndiaStateDist-0000.xlsx. पर प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ): सरकार समग्र शिक्षा योजना (एसएसए) के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मौजूदा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत करने, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाईज+) से निर्धारित कमियों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मूलभूत सुविधाओं के निर्माण और संवर्द्धन में सहायता करती है। स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की गणना प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर वृद्धिशील आधार पर की जाती है तथा उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में दर्शाई जाती है। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन तथा अनुमोदन/अनुमान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से एससी/एसटी/ईबीबी पर विशेष ध्यान दिया जाता है:

i. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी): समग्र शिक्षा के तहत, केजीबीवी का प्रावधान है जो वंचित समूहों जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं। केजीबीवी की स्थापना के पीछे उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर को कम करना है। वर्तमान में देश भर में 5133 केजीबीवी में लगभग 1.93 लाख एससी, 1.83 लाख एसटी, 46,858 बीपीएल, 2.59 लाख ओबीसी और 28,761 मुस्लिम नामांकित हैं।

ii. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी) - समग्र शिक्षा एनएससीबीएवी नामक पहल के तहत आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का समर्थन करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लड़कियों, शहरी वंचित और अन्य वंचित बच्चों तक पहुंचना तथा दूरदराज के, कम आबादी वाले और दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) से प्रभावित क्षेत्रों, वनों, जलमार्गों, नदियों आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं वाले बड़े निर्जन क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा तक समान पहुंच बनाना है। वर्तमान में, समग्र शिक्षा के तहत 1182 आवासीय स्कूल/छात्रावास संस्वीकृत हैं।

iii. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएमजनमन), जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और मिशन मोड में स्थायी आजीविका के अवसरों से संतृप्त करना है। शिक्षा मंत्रालय अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और पीएम-जनमन को समग्र शिक्षा योजना के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, इस मंत्रालय द्वारा 194 छात्रावासों के लिए 476.16 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

iv. राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना:

केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि कक्षा आठ में उनकी पढ़ाई बीच में ही ना छूट जाए और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत कक्षा 9 के चयनित छात्रों को प्रत्येक वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और कक्षा 10 से 12 तक राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए उन्हें जारी रखने/नवीनीकृत करने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपये प्रति वर्ष है।

v. आरटीई पात्रता - निःशुल्क यूनिफॉर्म का प्रावधान: जहां भी राज्य सरकारों ने अपने राज्य आरटीई नियमों में बच्चों की पात्रता के रूप में स्कूल यूनिफॉर्म के प्रावधान को शामिल किया है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों

और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले बच्चों को प्रति वर्ष प्रति बच्चा 600 रुपये की औसत लागत पर दो सेट यूनिफॉर्म के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, यह विभाग पर्याप्त स्कूली मूलभूत ढांचा (डिजिटल सहित), शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक सहायता, पोषण, ईडब्ल्यूएस के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री), पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण), जैसी योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है ताकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान के साथ सभी छात्रों के अधिगम के परिणामों में सुधार हो सके।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 2021-22 से केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) को लागू कर रहा है। इस योजना में तीन घटक अर्थात् आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास हैं। इसके एक घटक 'छात्रावास' का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग) के लिए नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। छात्रावासों का निर्माण संबंधित राज्य सरकारों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

******

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा 'शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले' के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

112 आकांक्षी जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	आंध्र प्रदेश	अल्लूरि सीतारामराजू
2	आंध्र प्रदेश	पार्वतीपुरम मन्यम
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर.
4	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
5	असम	गोलपाड़ा
6	असम	बारपेटा
7	असम	हैलाकांडी
8	असम	बक्सा
9	असम	दरंग
10	असम	उदलगुडी
11	असम	धुबरी
12	बिहार	सीतामढ़ी
13	बिहार	अररिया
14	बिहार	पूर्णिया
15	बिहार	कटिहार
16	बिहार	मुजफ्फरपुर
17	बिहार	बेगूसराय
18	बिहार	खगरिया
19	बिहार	बांका
20	बिहार	शेखपुरा
21	बिहार	औरंगाबाद
22	बिहार	गया
23	बिहार	नवादा
24	बिहार	जमुई
25	छत्तीसगढ़	कोरबा
26	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
27	छत्तीसगढ़	महासमुंद
28	छत्तीसगढ़	कांकेर
29	छत्तीसगढ़	नारायणपुर
30	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा
31	छत्तीसगढ़	बीजापुर
32	छत्तीसगढ़	बस्तर
33	छत्तीसगढ़	कोंडागांव

क्र.सं.	राज्य	जिला
34	छत्तीसगढ़	सुकमा
35	गुजरात	दाहोद
36	गुजरात	नर्मदा
37	हरियाणा	मेवात
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा
39	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा
40	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	बारामूला
41	झारखंड	गढ़वा
42	झारखंड	छतरा
43	झारखंड	गिरिडीह
44	झारखंड	गोड्डा
45	झारखंड	साहिबगंज
46	झारखंड	पाकुर
47	झारखंड	बोकारो
48	झारखंड	लोहरदगा
49	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
50	झारखंड	पलामू
51	झारखंड	लातेहार
52	झारखंड	हजारीबाग
53	झारखंड	रामगढ़
54	झारखंड	दुमका
55	झारखंड	रांची
56	झारखंड	खूंटी
57	झारखंड	गुमला
58	झारखंड	सिमडेगा
59	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम
60	कर्नाटक	रायचूर
61	कर्नाटक	यादगीर
62	केरल	वायनाड
63	मध्य प्रदेश	छतरपुर
64	मध्य प्रदेश	दमोह
65	मध्य प्रदेश	बड़वानी
66	मध्य प्रदेश	राजगढ़
67	मध्य प्रदेश	विदिशा
68	मध्य प्रदेश	गुना
69	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
70	मध्य प्रदेश	खंडवा
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार
72	महाराष्ट्र	वाशिम
73	महाराष्ट्र	गडचिरौली

क्र.सं.	राज्य	जिला
74	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
75	मणिपुर	चंदेल
76	मेघालय	रिभोई
77	मिजोरम	मामित
78	नगालैंड	किफाइर
79	ओडिशा	ढेंकनाल
80	ओडिशा	गजापति
81	ओडिशा	कंधमाल
82	ओडिशा	बलांगीर
83	ओडिशा	कालाहांडी
84	ओडिशा	रायगढ़
85	ओडिशा	कोरापुट
86	ओडिशा	मल्कानगिरी
87	ओडिशा	नबरंगपुर
88	ओडिशा	नुआपाड़ा
89	पंजाब	मोगा
90	पंजाब	फिरोजपुर
91	राजस्थान	धौलपुर
92	राजस्थान	करौली
93	राजस्थान	जैसलमेर
94	राजस्थान	सिरोही
95	राजस्थान	बारां
96	सिक्किम	सोरेंग
97	तमिलनाडु	विरुधुनगर
98	तमिलनाडु	रामानाथपुरम
99	तेलंगाना	आसिफाबाद
100	तेलंगाना	भूपालपल्ली
101	तेलंगाना	भद्राद्री-कोठागुडेम
102	त्रिपुरा	धलाई
103	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
104	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर
105	उत्तर प्रदेश	बहराईच
106	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
107	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
108	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
109	उत्तर प्रदेश	चंदौली
110	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
111	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
112	उत्तराखंड	हरिद्वार

****